राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः एफ.7(4)विविध/अकाद/आकाशि/2023–02880/पार्ट–1/ दिनांकः

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :–दिनांक 25 जनवरी, 2024 को 14 वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में मतदाता शपथ दिलवाने बाबत्।
सन्दर्भः–निर्वाचन विभाग का पत्रांक सं. 491/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./स्वीप–I/एनवीडी/2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि दिनांक 25 जनवरी, 2024 को 14 वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में प्रातः 11 बजे महाविद्यालयों में मतदाता शपथ दिलवाई जाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि –
1. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड हेतु।
2. रक्षित पत्रावली।

(प्रो. पद्मश्री पटनायक)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

Signature valid
RajKaj Ref 5391926
Digitally signed by Padmashree Pattnaik
Designation : Professor
Date: 2024.01.24 11:08:33 IST
Reason: Approved

14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस
25 जनवरी, 2024

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

विषय : दिनांक 25 जनवरी, 2024 को 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में मतदाता शपथ दिलवाने बाबत्।

जैसा कि आपको विदित है कि प्रतिवर्ष 25 जनवरी को देशभर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह पूर्वक मनाया जाता है। 25 जनवरी, 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना होने के कारण इस दिवस को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाना लोकतंत्र के लिए अत्यंन्त महत्वपूर्ण है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस दिनांक 25 जनवरी, 2024 को सभी स्कूलों, महाविद्यालयों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों एवं राज्य के सभी राजकीय विभागों में प्रातः 11:00 बजे मतदाता शपथ दिलवाई जावे, जिससे प्रजातंत्र में सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त शपथ का प्रारूप (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) सलंग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। आपसे यह अपेक्षा है कि आप अपने अधीनस्थ सभी विभागों एवं कार्यालयों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर पालना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से निर्वाचन विभाग को अवगत कराएगें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

Sudhansh Pant

(सुधांश पंत)
मुख्य सचिव
राजस्थान सरकार

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव
समस्त प्रमुख शासन सचिव
समस्त शासन सचिव
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

यू0ओ0 नोट क्रमांक : एफ.4(3)(3)स्वीप / निर्वा / NVD - 2024 / 500
जयपुर, दिनांक : 19.01.2024

D:\SVEEP MAIN NEW\NVD-2024\NVD -2024-Letter.docx

Scanned with ACE Scanner

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001

सं. 491/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./स्वीप-I/एनवीडी/2023

दिनांक:10 जनवरी, 2024

सेवा में,

सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय:- राष्ट्रीय मतदाता दिवस (25 जनवरी) 2024 - तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे देश में 25 जनवरी, 2024 को राज्य, जिला और बूथ स्तर पर मनाया जाएगा। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की विषय-वस्तु (थीम) **'वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम' 'Nothing like voting, I vote for sure'** है। संदर्भ के लिए लोगो (Logo) फ़ाइल इसके साथ संलग्न है।

आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त विषय-वस्तु (थीम) का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का संचालन करें।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस के समारोह से संबंधित सभी फोटो और वीडियो जैसे कि मतदाता शपथ दिलाना, एपिक कार्ड का वितरण आदि #NVD2024 का उपयोग करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाएंगे। विगत की भांति, राज्यों में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और बूथ स्तर पर पहले से मौजूद योजना के अलावा निम्नलिखित घटक शामिल होंगे।

<u>व्यापक संचार योजना:</u>

- उपर्युक्त विषय-वस्तु (थीम) पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य भर में विभिन्न समारोह/कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा, आवश्यक प्रिंट, टीवी, रेडियो के विज्ञापन जारी करके, सोशल मीडिया अभियानों, फील्ड कार्यक्रमों तथा परस्पर वार्ता, वेबिनारों/सेमिनारों आदि का आयोजन करके एक व्यापक संचार योजना तैयार की जाएगी।
- विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय मतदाता दिवस की विषय-वस्तु (थीम) का प्रचार-प्रसार।
- राष्ट्रीय मतदाता दिवस की विषय-वस्तु (थीम) और संबंधित संदेशों को पोस्टरों और बैनरों के रूप में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयों और मतदाता सुविधा केंद्रों (वीएफसी) में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- विषय-वस्तु (थीम) पर प्रकाश डालते हुए 25 जनवरी को एक प्रिंट विज्ञापन निकाला जाए।

<u>राज्य/जिला आइकॉन को शामिल करना:</u>

- वर्तमान थीम 'वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम' के संबंध में आयोग की पहल के बारे में जागरूकता फैलाने और इसका व्यापक प्रकाशन (प्रसार) करने, लोगों से आगामी निर्वाचनों के दौरान मतदान करने की अपील करने के लिए राज्य/जिला आइकॉनों को (ऑडियो-वीडियो संदेशों की रिकॉर्डिंग के माध्यम से) इस कार्य में शामिल किया जाए। ऑडियो/वीडियो संदेश को आइकॉन द्वारा

Scanned with ACE Scanner

#NVD2024 का उपयोग करके संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। ऑडियो/वीडियो संदेश के लिए एक ड्राफ्ट स्क्रिप्ट उचित समय पर साझा की जाएगी।

- सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को जीवन/समाज के सभी क्षेत्रों/वर्गों से प्रेरक और निष्पक्ष प्रमुख हस्तियों को निर्वाचन आइकॉन के रूप में नामित करने के लिए उचित प्रयास करने चाहिए। दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर और अन्य उपेक्षित वर्गों के प्रमुख व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

<u>साझेदारी और सहयोग:</u>

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी विभिन्न सरकारी विभागों जैसे बैंकों, डाकघरों, रेलवे, पंचायती राज संस्थाओं, नागरिक निकायों आदि के साथ भागीदारी और सहयोग सुनिश्चित करेंगे।

- राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह आयोजित किए जाने तक विभिन्न आयोजनों जैसे प्रतियोगिताओं (निबंध, वाद-विवाद आदि), वेबिनारों आदि के आयोजन के लिए कॉर्पोरेट निकायों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य को शामिल किया जाए।

- साथ ही, विभिन्न विभागों/संगठनों/निकायों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस शपथ दिलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, और इसे #NVD2024 का उपयोग करके उनके सोशल मीडिया हैंडलों/वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

<u>सोशल मीडिया को शामिल करने संबंधी कार्यकलाप:</u>

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए रचनात्मक विषय-वस्तु सृजित और तैयार करने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया एजेंसियों से संपर्क करें तथा इसे उनके संबंधित सोशल मीडिया हैंडलों पर अपलोड करवाएं।
- विभिन्न विभागों/संगठनों आदि द्वारा सभी गतिविधियों को उनके संबंधित सोशल मीडिया हैंडलों पर अपलोड किया जाना चाहिए।
- सोशल मीडिया खातों पर विषय-वस्तु अपलोड करते समय #NVD2024 का उपयोग किया जा सकता है।

1. **मुख्य कार्यकलाप:** राष्ट्रीय मतदाता दिवस से संबंधित स्वीप के सभी कार्यकलाप अनिवार्यतः, कोविड उपयुक्त व्यवहार और मौजूदा दिशानिर्देशों/मानदंडों के अनुसार आयोजित किए जाने चाहिए।

क) बूथ स्तर पर कार्यकलाप:

i. बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) प्रत्येक मतदान केंद्र क्षेत्र में एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे और नव-पंजीकृत मतदाताओं को उचित रूप से सम्मानित करेंगे तथा नए निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) भी सौंपेंगे।

ii. वीडियो और अन्य रचनात्मक सामग्री को व्हाट्सएप ग्रुपों और अन्य मीडिया के जरिए सभी परिवारों (हाउसहोल्ड)/प्रतिभागियों के साथ व्यापक रूप से साझा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, राज्य या जिले द्वारा डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट), मतदान केंद्रों पर आश्वस्त न्यूनतम सुविधाएं, ईवीएम/वीवीपैट, वोटर हेल्पलाइन एप, नैतिक मतदान आदि के संबंध में तैयार की गई अन्य जागरूकता फिल्मों/सामग्री को भी इस समारोह में स्थानीय भाषाओं में दिखाया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि रचनात्मक सामग्री, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की वर्तमान विषय-वस्तु (थीम) के

Scanned with ACE Scanner

अनुरूप सुलभ संरूपों (फॉर्मेटों) में उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि सभी स्टेकहोल्डरों को जानकारी प्रदान की जा सके।

iii. इसके अलावा, इस समारोह के दौरान उपस्थित सभी लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी) शपथ दिलवाई जानी चाहिए। इसके अलावा, शपथ की प्रति व्हाट्सएप ग्रुपों पर भी परिचालित की जानी चाहिए।

iv. जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), प्रत्येक मतदान केंद्र क्षेत्र में संक्षिप्त समारोह के लिए अपेक्षित लॉजिस्टिक्स प्रदान कर सकते हैं।

ख) जिला मुख्यालयों में कार्यकलाप:

i. जिला निर्वाचन अधिकारी, विभिन्न संस्थाओं/संगठनों जैसे पंचायत राज संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं, सिविल सोसाइटी समूहों, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स, एनवाईकेएस जैसे युवा स्वयंसेवियों वाले संगठनों, मीडिया आदि के सहयोग से जिला ,मुख्यालयों में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन करेंगे।

ii. नव-पंजीकृत मतदाताओं को राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी) समारोह के दौरान एपिक कार्ड सौंपकर सम्मानित किया जाएगा।

iii. इसके अलावा, समारोह के दौरान उपस्थित सभी लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी) शपथ दिलवाई जानी चाहिए। इसके अलावा, यह शपथ व्हाट्सएप ग्रुपों पर भी परिचालित की जानी चाहिए।

iv. डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) सुविधा, आश्वस्त न्यूनतम सुविधाएं, ईवीएम वीवीपैट, मतदान केंद्रों पर आश्वस्त न्यूनतम सुविधाएं, वोटर हेल्पलाइन एप, नैतिक मतदान आदि पर स्थानीय भाषाओं में जागरूकता फिल्में दिखाई जाएंगी। रचनात्मक सामग्री राष्ट्रीय मतदाता दिवस की वर्तमान विषय-वस्तु (थीम) के अनुरूप सुलभ संरूपों (फॉर्मेटों) में उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि सभी स्टेकहोल्डरों को इसकी जानकारी सुलभ हो सके।

v. ये सामग्री विभिन्न स्टेकहोल्डरों के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा की जानी चाहिए।

vi. 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' का लोगो, जो मतदान के महत्व को पुष्ट करता है, का उपयोग आधिकारिक लेखन सामग्रियों, वेबसाइटों, चुनाव संबंधी प्रस्तुतियों आदि पर भी उपयुक्त रूप से किया जाएगा।

ग) राज्य मुख्यालयों में कार्यकलाप:

i. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मीडिया, सिविल सोसाइटी, स्वयंसेवी समूहों, राज्य प्रशासन, राज्य निर्वाचन आयोग और कॉरपोरेट्स आदि के सहयोग से राज्य की राजधानी में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन करते है।

ii. डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) सुविधा, सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं, ईवीएम वीवीपैट, मतदान केंद्रों पर आश्वस्त न्यूनतम सुविधाएं, वोटर हेल्पलाइन एप, नैतिक मतदान आदि पर स्थानीय भाषाओं में जागरूकता फिल्में दिखाई जाएंगी और व्हाट्सएप ग्रुपों पर वितरित की जाएंगी।

iii. नव-पंजीकृत मतदाताओं को राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी) समारोह के दौरान एपिक कार्ड सौंपकर सम्मानित किया जाएगा।

iv. इसके अलावा, एनवीडी (राष्ट्रीय मतदाता दिवस) समारोह के दौरान उपस्थित सभी लोगों को एनवीडी शपथ दिलवाई जानी चाहिए (कोविड मानदंडों, यदि कोई हों, के अनुसार)।

v. वर्तमान विषय-वस्तु (थीम) के अनुसार, समारोह के दौरान सांकेतिक भाषा के दुभाषियों को तैनात किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो, राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोहों के समारोह-स्थल को सुगम बनाया जाना चाहिए।

Scanned with ACE Scanner

National Voters Day

Logo

Pledge

Voter's Pledge

" We, the citizens of India, having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by considerations of religion, race, caste, community, language or any inducement ".

मतदाता शपथ

" हम, भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाये रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगें ।"

Link for Open Files of NVD logo and Pledge (Hindi/English)

https://drive.google.com/drive/folders/1PQrshoZ3KseyVS9JZave_u-J-5NvigSK?usp=sharing

Scanned with ACE Scanner

[illegible] विज्ञापन जारी किए जाने चाहिए।

[illegible] मतदाता दिवस से संबंधित यथानिर्दिष्ट कार्यकलापों को प्रभावी ढंग से करने के लिए [illegible]

को राष्ट्रीय मतदाता दिवस संबंधी कार्यकलापों के लिए उनकी भूमिका के बारे में यथानिर्दिष्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ)/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।

viii. 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' का लोगो, जो मतदान के महत्व को पुष्ट करता है, का उपयोग आधिकारिक लेखन सामग्रियों, वेबसाइटों, चुनाव संबंधी प्रस्तुतियों आदि पर भी प्रमुखता से किया जाएगा।

चूंकि इस वर्ष, राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी) की विषय-वस्तु (थीम) "वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम" है, अतः यह आशा की जाती है कि इन समारोहों के आयोजन में दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के कमजोर वर्गों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, वेबसाइट/ऐप को लोकप्रिय बनाने के प्रयास इस क्षेत्र में काम कर रहे विभिन्न संगठनों के माध्यम से किए जाने चाहिए। साथ ही, विभिन्न आयोजनों के माध्यम से आश्वस्त न्यूनतम सुविधा और डाक मतपत्र प्रावधान के बारे में जागरूकता सुनिश्चित की जाएगी। ऑफलाइन कार्यक्रम, यदि कोई हो, सुलभ स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे और सभी स्टेकहोल्डरों तक पहुंचने के लिए सांकेतिक भाषा के दुभाषियों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी) से संबंधित तैयारियों का मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ)/जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) के कार्यालय द्वारा बारीकी से अनुवीक्षण किया जाए।

भवदीय,

संतोष कुमार

(संतोष कुमार)

सचिव